Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

135-2021/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 19, 2021 (SRAVANA 28, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 19th August, 2021

No. 26-HLA of 2021/71/21454.— The Haryana Public Examination (Prevention of unfair means) Bill, 2021is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 26- HLA of 2021

THE HARYANA PUBLIC EXAMINATION (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) BILL, 2021

A

BILL

to prevent unfair means and leakage of question paper in public examination and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2021. Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.

(a) "conduct public examination" means and includespreparation, printing, supervision, coding, processing,distribution of question papers, evaluation, declaration of result, etc.;

(b) "examinee" means a person who has been granted permission by examination authority to appear in the public examination and includes a person authorized to act as scribe on his behalf in public examination;

(c) "examination authority" includes the Haryana Public Service Commission, Haryana Staff Selection Commission or any other authority or agency or recruitment committee engaged or constituted by the State Government, Haryana Public Service Commission, Haryana Staff Selection Commission or University, from time to time for conducting public examination;

(d) "examination center" means such premises, as specified by the examination authority toconductpublic examination;

(e) "inspection team" means personsauthorised by the examination authority to inspect any examination center;

(f) "public examination" means an examination conducted for the purpose of recruitment to any post under the State Government including autonomous bodies, authorities, boards or corporations;

(g) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(h) "supervisory staff"includes personsauthorised by the examination authority to conduct public examination;

(i) "unfair means" includes,-

(i) in relation to an examinee,to takeunauthorised help in public examination from any person directly or indirectly or from any material written, recorded, copied or printed, in any form whatsoever, or use of any unauthorised electronic or mechanical instrument or gadget; and

(ii) in relation to any person other than the examinee,to impersonate or leak or attempt to leak orconspire to leak orprocure or attempt to procure or possess or attempt to possessquestion paper unauthorisedly, solve or attempt to solveor seek assistance to solve question paper orunauthorisedly directly or indirectly assist the examinee in any manner whatsoever,in the public examination for monetary or unlawful gains.

Probation of use or indulgence in unfair means.

3. No person shall use or indulge in unfair means in any public examination.

Possession and disclosure of question paper.

4. No person authorized by virtue of his duties shall before the time fixed for opening and distribution of question papers-

(a) open, leak orprocure or attempt to procure, possess or solve such question paper or any portion or a copy thereof; or

(b) give any information or promise to give such information to any person or examinee, for which he has knowledge or reason to believe that such information is related to or in reference to such question paper.

Prohibition to give information.

5. No person who is entrusted with the work pertaining to public examination, except where he is permitted so by virtue of his duties, shall by indulging in unfair means, directly or indirectly,give or attempt to give any information or part thereof, which has come to his knowledge by virtue of the work entrusted to him.

Prohibition to enter examination center.

6. No person who is not entrusted with any works pertaining to public examination or who is not an examinee, shall during the continuance of public examination, enter an examination center.

Prohibition to assist.

7. The management or the staff of an institution specified to conduct public examination or entrusted with the work pertaining to public examination shall not assist any examinee or indulge in unfair means.

Penalties.

8. (1) If any examinee contravenes or attempts or abets to contravene any of the provisions of this Act, he shall beliable to be punished with imprisonment for a term which may extend upto two years and with fine which may extend upto five thousand rupees.

(2) If any person obstructs or threatens any member of the inspection team, supervisory staff, examination authority, officer or person appointed by the examination authority for performing duty or from enteringany examination center, he shall be liable to be punished with imprisonment for a term which may extend upto two years and with fine which may extend upto five thousand rupees.

(3) If any personentrusted with the duty to conduct public examination,contravenes or attempts or abets to contravene any of the provisions of this Act, he shall beliable to be punished with imprisonment for a term which may extend upto seven years and with fine which shall not be less than one lakh rupees and more than three lakh rupees.

(4) If any personin an organized crime in conspiracy with the examination authority or otherwise indulges or attempts to indulge in unfair means orcontravenes or abets to contravene any of the provisions of this Act, he shall be liable to be punished with imprisonment for a term which shall not be less than seven years and may extend upto ten years and with fine which shall not be less than ten lakh rupees.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, "organized crime" means a person or a group of persons indulging in unfair means to pursue or promote a shared interest for monetary or unlawful gains.

9. In case of conviction of person under sub-section (4) of section 8 of this Act, the court shall make an order of recovery of any monetary or unlawful gains made by such person, by way of attachment and sale of any of the assets/property, moveable, or immovable, or both, of such person by following the procedure as laid down in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974). Attachment of property.

10. Every person engaged in the conduct of public examination shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860). Public servant.

11. The State Government may, from time to time, issue directions or order in writing, for giving effect to the provisions of this Act. Power to issue directions or order.

12. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, within a period of two years from the commencement of this Act, by an order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removal of difficulty. Power to remove difficulties.

13. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazatte, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules.

(2) Every rule made under this Act shall, as soon as possible, after it is made or issued, be laid before the State Legislature.

14. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of any other law in force on the subject. Application of other laws nor barred.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In matters of recruitment to posts in State Government the leakage of Question papers not only betrays the trust of the general public and adversely affects the credibility of the government but also the State too suffers substantial administrative cost when examinations have to be called off. A fair and reasonable process of selection to posts subject to the norm of equality of opportunity under Article 16(1) of the Constitution of India is a constitutional requirement. A fair and reasonable recruitment process is a fundamental requirement of Article 14 as well.

Where the recruitment to public employment stands compromised as a consequence of fraud or irregularities, the entire process becomes vitiated. The recruitment examinations are often compromised due to deceitful means and measures. The essence of the examinations is that the worth of every person is appraised without any assistance from an outside source. Unfortunately, the issue has assumed dimensions of organized crime and involves huge pecuniary advantages to nefarious persons. This is an offence against the society at large. Hence, there is urgent need to restore public confidence in the sanctity of selection to public posts and the requirement of ensuring fairness to candidates who invest time and resources in attempting to clear through a selection. With a view to secure and sustain the confidence of the public in general and to ensure unquestionable trustworthiness in the public recruitment examinations, the Government of Haryana proposes to bring this legislation to check use of unfair means in examinations.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 19th August, 2021.

R. K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATIONS

Clause 13 of the proposed Bill provides the Government may, by notification in the official gazette make rules for carrying out the purposes of this act and every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislation. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under Rule 126 of the Rule of the Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 26–एच0एल0ए0

हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2021
लोक परीक्षा में अनुचित साधनों तथा प्रश्न–पत्र प्रकटन निवारण तथा इससे संबंधित तथा इससे आनुषंगिक मामलों हेतु उपबन्ध करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।

(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''परीक्षा का आयोजन'' से अभिप्राय है तथा इसमें शामिल हैं प्रश्न पत्रों को तैयार करना, मुद्रित करना, पर्यवेक्षण, कोडिंग, प्रक्रिया, वितरण, मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा करना इत्यादि ;

(ख) ''परीक्षार्थी'' से अभिप्राय है, ऐसा व्यक्ति, जिसे लोक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए परीक्षा प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है और इसमें लोक परीक्षा में उसके निमित्त लिपिक के रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति भी शामिल है ;

(ग) ''परीक्षा प्राधिकरण'' में शामिल हैं, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अथवा लोक परीक्षा आयोजित करने के लिए समय–समय पर राज्य सरकार, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अथवा विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित अथवा गठित कोई अन्य प्राधिकरण अथवा अभिकरण अथवा भर्ती समिति ;

(घ) ''परीक्षा केन्द्र'' से अभिप्राय है, लोक परीक्षा आयोजित करने हेतु परीक्षा प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे परिसर ;

(ड.) ''निरीक्षण टीम'' से अभिप्राय है, किसी परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण करने के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ;

(ड.) ''लोक परीक्षा'' से अभिप्राय है, स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन हेतु आयोजित की गई कोई परीक्षा ;

(च) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(छ) ''पर्यवेक्षी अमला'' में शामिल हैं, परीक्षा प्राधिकरण द्वारा लोक परीक्षा आयोजित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति ;

(ञ) ''अनुचित साधन'' में शामिल हैं,–

(i) परीक्षार्थी के संबंध में, लोक परीक्षा में किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा लिखित, लिपिबद्ध, नकल या मुद्रित किसी सामग्री, किसी भी रूप में ज्ञात हो, से अप्राधिकृत सहायता लेना, अथवा किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रोनिक अथवा मैकेनिकल उपकरण अथवा गैजेट का उपयोग करना ; तथा

(ii) परीक्षार्थी से भिन्न किसी व्यक्ति के संबंध में, अप्राधिकृत रूप से प्रश्न–पत्र का प्रतिरूपन अथवा प्रकट करना अथवा प्रकट करने का प्रयास करना अथवा प्रकट करने का षड्यंत्र करना अथवा दलाली करना या दलाली करने का प्रयास करना या कब्जे में लेना या कब्जे में लेने का प्रयास करना, प्रश्न–पत्र हल करना या हल करने का प्रयास करना या हल करने के लिए सहायता प्राप्त करना या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लोक परीक्षा में किसी रीति, जो भी हो, में परीक्षार्थी की धन संबंधी या विधि विरूद्ध लाभ के लिए अप्राधिकृत रूप से सहायता करना।

3. कोई भी व्यक्ति, किसी लोक परीक्षा में किसी अनुचित साधन का उपयोग नहीं करेगा अथवा अनुग्रह नहीं करेगा। अनुचित साधनों के उपयोग अथवा अनुग्रह का प्रतिषेध।

4. कोई भी व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों के फलस्वरूप, प्रश्न पत्रों को खोलने और उनका वितरण करने के लिए नियत समय से पूर्व,– प्रश्न–पत्र को कब्जे में लेना और उसका प्रकटीकरण।

(क) ऐसे प्रश्न –पत्र या उसके किसी भाग या उसकी प्रति को नहीं खोलेगा, प्रकट नहीं करेगा या दलाली नहीं करेगा या दलाली करने का प्रयास नहीं करेगा या कब्जा में नहीं लेगा या हल नहीं करेगा ; या

(ख) किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी, जिसके लिए वह जानकारी रखता है या विश्वास का कारण रखता है कि ऐसी सूचना, ऐसे प्रश्न पत्र से संबंधित है या के संदर्भ में है, को ऐसी सूचना नहीं देगा या देने का वचन नहीं देगा।

5. कोई भी व्यक्ति, जिसे लोक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य सौंपा जाता है, जहां वह अपने कर्त्तव्यों के फलस्वरूप ऐसा करने के लिए अनुमत है, को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से अनुचित साधनों में शामिल नहीं होगा, कोई सूचना या उसका भाग, जो उसको सौंपे गए कार्य के फलस्वरूप उसकी जानकारी में है, को नहीं देगा अथवा देने का प्रयास नहीं करेगा। सूचना देने हेतु प्रतिषेध।

6. कोई भी व्यक्ति, जिसे लोक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य सौंपा नहीं जाता है, अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, किसी परीक्षा केन्द्र में लोक परीक्षा के दौरान प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करना प्रतिषेध।

7. लोक परीक्षा आयोजित करने के लिए विनिर्दिष्ट अथवा लोक परीक्षा से संबंधित कार्य से न्यस्त किसी संस्था का प्रबंधक या कर्मचारी किसी परीक्षार्थी की सहायता नहीं करेगा अथवा अनुचित साधन में लिप्त नहीं होगा। सहायता करना प्रतिषेध ।

8. (1) यदि कोई परीक्षार्थी इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना करता है अथवा उल्लंघना करने का प्रयास करता है अथवा उल्लंघना करने के लिए उकसाता है, तो वह ऐसी कारावास की अवधि, जो दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है तथा जुर्माने, जो पांच हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा ; शास्तियां।

(2) यदि कोई व्यक्ति निरीक्षण टीम के किसी सदस्य, पर्यवेक्षी अमले या परीक्षा प्राधिकारी या परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या व्यक्ति को अपने कर्त्तव्य का पालन करने या किसी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने में बाधा पहुंचाता है अथवा धमकी देता है, तो वह ऐसी कारावास की अवधि, जो दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है तथा जुर्माने, जो पांच हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।

(3) यदि लोक परीक्षा आयोजित करने के लिए कर्त्तव्य से न्यस्त कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना करता है अथवा उल्लंघना करने का प्रयास करता है अथवा उल्लंघना करता के लिए उकसाता है, तो वह ऐसी कारावास की ऐसी अवधि, जो सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माने, जो एक लाख रूपए से कम और तीन लाख रूपए से अधिक नहीं होगा, से दण्डनीय होगा ;

(4) यदि कोई व्यक्ति परीक्षा प्राधिकारी के साथ षड्यंत्र करते हुए संगठित अपराध करता है अथवा अन्यथा से लिप्त है अथवा इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना करता है अथवा उल्लंघना करने का प्रयास करता है अथवा उल्लंघना करता के लिए उकसाता है, तो वह कारावास की ऐसी अवधि, जो सात वर्ष से कम नहीं होगी और दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माने, जो दस लाख रूपए से कम नहीं होगा, से दण्डनीय होगा।

व्याख्या– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, ''संगठित अपराध'' से अभिप्राय है, धन संबंधी या विधिविरूद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए साझा हित को आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए अनुचित साधनों में लिप्त कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह।

9. इस अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (4) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा की गई उल्लंघना के मामले में, न्यायालय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में अधिकथित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए ऐसे व्यक्ति की किन्हीं आस्तियों/सम्पत्ति, चल, या अचल अथवा दोनों की कुर्की और विक्रय के माध्यम से ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए धन संबंधी या विधिविरूद्ध लाभ की वसूली करने के लिऐ आदेश करेगा। सम्पत्ति की कुर्की।

लोक सेवक।

10. लोक परीक्षा आयोजित करने में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा।

निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति।

11. राज्य सरकार, समय–समय पर, इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए लिखित में निर्देश या आदेश जारी कर सकती है।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

12. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के भीतर राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्‌असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

नियम बनाने की शक्ति।

13. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने अथवा जारी किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

अन्य विधियों के लागू होने से वर्जित नहीं होना।

14. इस अधिनियम के उपबन्ध, विषय के संबंध में लागू किसी अन्य विधि के अतिरिक्त तथा के अल्पिकरण में नहीं होंगे।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राज्य सरकार में पदों पर भर्ती के मामलों में प्रश्न पत्रों का लीक होना न केवल आम जनता के विश्वास को धोखा देता है और सरकार की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि राज्य को भी परीक्षाओं को रद्द करने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक लागत का सामना करना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) के तहत अवसर की समानता के मानदंड के अधीन पदों पर चयन की एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया एक संवैधानिक आवश्यकता है। एक निष्पक्ष और उचित भर्ती प्रक्रिया भी अनुच्छेद 14 की एक मूलभूत आवश्यकता है।

जहां धोखाधड़ी या अनियमितताओं के परिणामस्वरूप सार्वजनिक रोजगार में भर्ती से समझौता किया जाता है, वहां पूरी प्रक्रिया खराब हो जाती है। धोखेबाज साधनों और उपायों के कारण भर्ती परीक्षाओं में अक्सर समझौता किया जाता है। परीक्षाओं का सार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य का मूल्यांकन बिना किसी बाहरी स्रोत की सहायता के किया जाता है। दुर्भाग्य से, इस मुद्दे ने संगठित अपराध के आयाम ग्रहण कर लिए हैं और इसमें नापाक व्यक्तियों को भारी आर्थिक लाभ शामिल हैं। यह बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ एक अपराध है। इसलिए, सार्वजनिक पदों पर चयन की पवित्रता में जनता का विश्वास बहाल करने की तत्काल आवश्यकता है और उन उम्मीदवारों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जो चयन के माध्यम से क्लियर करने के प्रयास में समय और संसाधन लगाते हैं। आम जनता के विश्वास को बनाए रखने और सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में निर्विवाद विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, हरियाणा सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए इस कानून को लाने का प्रस्ताव करती है।

मनोहर लाल,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 19 अगस्त, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान के बारे ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक का खण्ड 13 प्रदान करता है, सरकार गजट अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के उद्वेश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकता है और इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम यथाशीघ्र विधानसभा सदन में रखे जाएंगे। इसलिए, हरियाणा विधान सभा में व्यवसाय की प्रक्रिया और आचरण के नियम 126 के तहत आवश्यक रूप से प्रत्यायोजित कानून के बारे मे ज्ञापन सलंग्न है।

9288—H.V.S.—H.G.P., Pkl.